तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S. Act Case No 100/2024	नम्बर व तारिख ... जो इस ... की तामिलमें जारी हुए
09.10.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडुराम जी विश्नोई, जाति– विश्नोई, हाल–नर्सरी रोड़, खेल मैदान के पास, अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 06.6.2024 को प्रतिवादी श्री जयकिशन पुत्र वगडुराम जी विश्नोई, जाति– विश्नोई, हाल–नर्सरी रोड, स्कुल खेल मैदान के पास, अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पाम तेल का नमूना संख्या S-2344, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./907/Act/2024/942 दिनांक 20.6.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 09.10.2024 को लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने यह व्यक्त किया कि मेरे द्वारा विक्रय करने हेतु खरीद गया पाम तेल था, जिसमें मेरे द्वारा कोई मिलावट नही की गई थी। मेरे द्वारा खरीद किया गया माल पाम तेल यथास्थिति सेम्पल भरा गया था। मेरे द्वारा हुई गलती को सुधार दिया गया है। अतः इस प्रकरण का आज ही फैसला करावे। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को पुलिस थाना पालडी एम. से मिली सूचना पर दिनांक 06.6.2024 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर नर्सरी रोड, स्कुल खेल मैदान के पास, अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर पुलिस दल के साथ प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडुराम जी विश्नोई उपस्थित मिले एवं प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडुरामजी विश्नोई के पास खाद्य पदार्थ पाम तेल के 10 टीन (प्रत्येक 15 किलोग्राम) आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए मिले। जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधियिम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडुराम जी विश्नोई को गवाह श्री जितेन्द्र पाल, FC 998, पुलिस थाना पालडी एम. व एक अन्य गवाह की उपस्थिति में प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडुराम जी विश्नोई को ... की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह एवं प्रतिवादी ... की उपस्थिति में एक टीन ....लगातार	जयकिशन

पीठा. जिला कलिक्टर
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S. Act Case No. 100/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	में से 1600 ग्राम पाम तेल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडुराम जी विश्नोई से कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पाम तेल के नमूना संख्या S-2344 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./907/Act/2024/942 दिनांक 20.6.2024 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडूराम जी विश्नोई ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पाम तेल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पाम तेल के विक्रय हेतु प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडुराम जी विश्नोई, जाति– विश्नोई, हाल– नर्सरी रोड़, स्कूल खेल मैदान के पास, अरठवाडा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की Penalty (शास्ति) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी जयकिशन पुत्र वगडूराम जी विश्नोई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त Penalty (शास्ति) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 08.11.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:22 IST
Reason: SelfAttested